प्रेस विज्ञप्ति

15.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 13 और 14 अगस्त, 2025 को कारवार (उत्तर कन्नड़), गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में कई स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान सतीश कृष्ण सेल उर्फ सतीश सेल और अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं, अर्थात् मेसर्स आशापुरा माइनकेम लिमिटेड, मेसर्स श्री लाल महल लिमिटेड, मेसर्स स्वास्तिक स्टील्स (होसपेट) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आईएलसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स लिमिटेड, जिन्हें माननीय सांसदों और विधायकों के लिए विशेष न्यायालय, बैंगलोर द्वारा मेसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं की मिलीभगत से किए गए लौह अयस्क चूर्ण के अवैध निर्यात के लिए दोषी ठहराया गया था, के विरुद्ध चल रही जाँच का हिस्सा हैं।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए माननीय विशेष न्यायालय के दोषसिद्धि आदेश के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि कारवार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतीश सेल ने अन्य व्यावसायिक संस्थाओं और बेलेकेरी बंदरगाह के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके 19/04/2010 से 10/06/2010 की अवधि के दौरान लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क फाइन्स का अवैध निर्यात किया था, जिसकी जब्ती वन विभाग, अंकोला द्वारा पहले ही की जा चुकी थी। इस कंपनी के माध्यम से सतीश कृष्ण सेल द्वारा किए गए अवैध निर्यात का कुल मूल्य 86.78 करोड़ रुपये था।

तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप सतीश कृष्ण सेल के आवास से 1.41 करोड़ रुपये और मेसर्स श्री लाल महल लिमिटेड के कार्यालय परिसर से 27 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। इसके अलावा, सेल परिवार के बैंक लॉकर से सोने के आभूषण/बुलियन के रूप में 6.75 किलोग्राम वजन का सोना भी जब्त किया गया। तलाशी अभियान के दौरान आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं यानी मेसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, सतीश कृष्ण सेल, मेसर्स आशापुरा माइनकेम लिमिटेड आदि के बैंक खाते, जिनमें 14.13 करोड़ रुपये (लगभग) शेष हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं। तलाशी के दौरान, दस्तावेजों, ईमेल, रिकॉर्ड आदि के रूप में आपत्तिजनक सबूत जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच जारी है।





